

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
बमुकद में ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

वासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

करण संख्या :- 42/2025

पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

पलविन्द्र सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया।  
हरजिन्द्र सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया।

-वादी

बनाम्

कर्मजीतकौर पत्नी सर्वजीतसिंह जाति जटसिख सन्तपुरा तहसील संगरिया।  
वीरपालकौर पत्नी हरप्रीतसिंह जाति जटसिख साकिन सन्तपुरा तहसील संगरिया।  
अमनदीपकौर पुत्री हरप्रीतसिंह | नाबालिगान कुदरती बली सरपस्त माता खुद  
अर्शदीपकौर पुत्री हरप्रीत सिंह | वीरपालकौर पत्नी हरप्रीतसिंह जाति जटसिख  
रमनदीपकौर हरप्रीत सिंह | साकिन संतपुरा तहसील संगरिया।  
तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 6.2.2024



यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रुबरु हमारे बहाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री..... मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भूअ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

1. पलविन्द्र सिंह, हरजिन्द्रसिंह पि.नक्षत्रसिंह जाति जटसिखसा.संतपुरा के हक व हिस्सा की भूमि :-

चक 3 केएसडी		
पत्थर नम्बर	मु.न.	किला नम्बर
167/127	30	19/1/0.127 है.

2. अमनदीप कौर, अर्शदीपकौर रमनदीपकौर वीरपालकौर पुत्रीया हरप्रीतसिंह 0.3355 है. कर्मजीतकौर पत्नी सर्वजीतसिंह 0.2085 है. जाति जटसिख सा. संतपुरा के हक व हिस्सा की भूमि:-

चक 3 केएसडी		
पत्थर नम्बर	मु.न.	किला नम्बर
167/127	30	9/0.253 है. 12/1/0.222 है. 19/1/0.069 है.

महायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त  
दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण  
प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा  
निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार  
संगरिया की अनुशंसा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के  
आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ.  
/2024/5154 दिनांक 18.12.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का  
अवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। प्रश्नगत भूमि रहन  
रहाने के पश्चात ही नामान्तकरण दर्ज किया जावे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत  
दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

जिनके मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी  
सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक...को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...6.2.2026...को खुले  
न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)  
महाशयक कलेक्टर एवं  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी,  
संगरिया